

# ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)



जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जाती है।)

1. तैयारी की तारीख 29/3/24  
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख : 29/3/24  
 वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख : 29/3/24

2. ग्राम का नाम : \_\_\_\_\_  
 ग्राम पंचायत का नाम : वेवई बुजुर्ग  
 ब्लॉक का नाम : बी.इ.एस.एल वेवई बुजुर्ग  
 जिला का नाम : बलरामपुर  
 राज्य का नाम : उ.प्र.  
 ग्राम जनगणना कोड : \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : 02 (संख्या) मवेशी कुओं को और 02 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थलों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 1.5 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एन.पी.सी.सी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक 2 (संख्या) परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकासों का सम्भाल करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प तैयार किया जाता है कि पूजा लागत का 10% प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): वेवई बुजुर्ग एवं स्पर्द्धता समिति  
 समिति को क्या कहा जाता है: वेवई बुजुर्ग एवं स्पर्द्धता समिति वेवई बुजुर्ग  
 अध्यक्ष का नाम: हरम मोहम्मद  
 पता: पुरवा  
 आयु: \_\_\_\_\_

सदस्य का नाम \_\_\_\_\_ तिथि \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_

ग्राम पंचायत/समिति का नाम \_\_\_\_\_  
 पता \_\_\_\_\_  
 जिला \_\_\_\_\_  
 राज्य \_\_\_\_\_

हरम मोहम्मद

### III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार :

जनसंख्या 1863  
 परिवारों की संख्या 223  
 महिलाओं की संख्या 903  
 पुरुषों की संख्या 960  
 बच्चों की संख्या 310  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

वर्तमान पंचायत आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार

वर्तमान जनसंख्या 2049  
 परिवारों की संख्या 245  
 महिलाओं की संख्या 993  
 पुरुषों की संख्या 1056  
 बच्चों की संख्या 341  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोमीटर/दिन (कै.एल.टी.) अंतिम चरण - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोमीटर/दिन (कै.एल.टी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

9. कृषि फसल पैटर्न: \_\_\_\_\_

प्रमुख फसलें	छाीक	रबी
गन्ना		✓
धान	✓	
मक्का	✓	
कपास		
गोहूँ		✓
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): \_\_\_\_\_

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): \_\_\_\_\_

#### IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या मसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सौख्यता मकड़ों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल	नहीं	हाँ	हाँ
2.	आंगनवाड़ी	नहीं	हाँ	हाँ
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	हाँ	हाँ
4.	ग्राम पंचायत भवन	नहीं	हाँ	हाँ
5.	अन्य	नहीं	हाँ	हाँ

ग्राम पंचायत  
 आंगनवाड़ी  
 स्वास्थ्य-केन्द्र  
 ग्राम पंचायत भवन

2021/2022

**पानी की कुछ दैनिक आवश्यकता**

15. पानी की दैनिक आवश्यकता - जनसंख्या X दर 5.95-39 के एल.पी.  
 मेट्रोपॉलिटन के लिए पानी की दैनिक आवश्यकता 9.41 के एल.पी.  
 मेट्रोपॉलिटन के लिए पानी की आवश्यक संख्या \_\_\_\_\_  
 मध्यम श्रेणी के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 3.49-56 के एल.पी.  
 अधिनियम के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 3.49-71 के एल.पी.

**पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त**

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा, सूखान/पकवा/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पेटना, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रकृति नहीं पर्याप्त सुरक्षित जल संचयन। नल द्वारा जल प्रदूषित।
17. आपदाकारीय व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टर्किश, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कर्ष, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त \_\_\_\_\_
19. जन जनित रोगों का इतिवृत्त: मिडिया, प्रसिया, तुलना, पीडिया, डायरिया।

**पानी की गुणवत्ता**

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की जाँचों के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_
21. बैक्टीरियल प्रीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
22. जन आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/परस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	तरीका	परिणाम
मटगी	दृश्य तुलना	1.86
पीएच	पही रंग तुलना	2.84
पूर्ण लवणता	टिटीमेट्रिक विधि	2.76
पूर्ण क्षारीयता	टिटीमेट्रिक विधि	3.29
क्लोराइड	टिटीमेट्रिक विधि	17.02
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फस्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
क्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

**कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान**

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
-----------------	----------------	-------

गाँव पंचायत  
 गाँव \_\_\_\_\_  
 जिला-बीकानेर  
 तहसील-करावाण

*(Handwritten Signature)*  
 20/11/20



**स्रोत स्थायित्व**

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बीरोल रिचार्ज संभव है? (हाँ/नहीं)
25. गाँव में उन गौजुदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्यान्वयन/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 138.00 के.एल.टी.  
 अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 18  
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 24  
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): नहीं  
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: नहीं  
 यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

**V. जल आपूर्ति योजना**

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.इन्फ्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - पूर्ण हो चुके आर.इन्फ्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
  - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या घरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
  - शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
  - वाटर सिंड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
  - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.इन्फ्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: गौजुदा जल कमीसि तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: की राशी काज पंचायत में की राशी  
 इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: राज पंचायत रोड बुजुर्ग  
 वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.इन्फ्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_  
 योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: 50% राज्य का हिस्सा: 50%  
 समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू उत्पादन: \_\_\_\_\_  
 वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क: \_\_\_\_\_  
 प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.इन्फ्यू.एस.: \_\_\_\_\_

**VI. मैन-जोब**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि निधि मैन-जोब संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
घोड़वा किल आयोग	ग्राम पंचायत	वे-वाटर मैनोमेट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.वी.एम.-जी)	वे-वाटर और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	वे-वाटर मैनोमेट-सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संचालन प्रणाली (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संवर्धन गतिविधियाँ	

ग्राम पंचायत का  
 नाम \_\_\_\_\_  
 पता \_\_\_\_\_  
 विभाग-पी.एच.ई.डी.  
 नया दिल्ली-110002

*(Handwritten signature)*

योजना का नाम	केंद्र/उप-सरकार का विभाग	संबंधित एग्रीकल्चरल डेप्ट. की जा सकती है	प्रस्तावित अनु
एकीकृत कारखाने प्रस्ताव कारखाने (आई.एन.ए.ए.सी.)	शुद्धी संरक्षण विभाग	कारखाने प्रस्ताव और एन.ए.ए.सी. शुद्धी सुधारण, जो विस्तार का निर्माण हुई जाति।	नी
जल सहायी की संरक्षण, मशीनीकरण और जीवविज्ञान	जल संरक्षण, मशी विभाग और जल संरक्षण विभाग	शुद्धी जल सहायी का जीवविज्ञान	✓
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आ.के.सी.ए.सी.)	कृषि, सूकराचार और किसान कल्याण	कारखाने में संशोधन कार्य	नी
प्रजापती कृषि सिंचनी योजना (पी.एम.के.एस.ए.सी.)	कृषि, सूकराचार और किसान कल्याण महासंघ	जल की अधिक सहाय वाली विभिन्न प्रकारों के लिए सुकराचारियों का संरक्षण, एकत्रीयता से जल की सिंचनी को कम करने के लिए	✓
संशोधन कार्य प्रस्ताव और आयोजना प्रक्रियाएं	पर्यटन, जल और जलवायु परिवर्तन महासंघ	संशोधन, जल परियोजनाओं का पुनर्गठन, संरक्षण विकास, आदि।	नी
प्रजापती कृषि विकास योजना (पी.एम.के.एस.ए.सी.)	कृषि विकास और उत्प्रेरित महासंघ	आ.एन.ए.ए.सी. योजनाओं के लिए आसपास मानव संसाधनों के लिए कृषि विकास, प्रशिक्षण आदि।	✓
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास महासंघ	एन.ए.सी. में पर्यटन आगुनी का प्रस्ताव	नी
आवासीय जिला कार्यक्रम	नैतिक आयोग	जिला बजट के तहत उपग्रह विस्तार विधियों के तहत जल संरक्षण एग्रीकल्चरल	✓
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.ए.)	राज्य	शुद्धी पर जल संरक्षण एग्रीकल्चरल	नी
एम.एस.ए.सी.	संशोधनी और कार्यक्रम कार्यालय महासंघ (एम.सी.एस.सी.)	जल सहाय उपकरण	✓
एम.एस.ए.सी.	राज्य	जल सहाय उपकरण	✓
संशोधन के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/राज्यीय उप योजना (पी.एम.एस.)	राज्यीय मानवों का महासंघ और राज्य	जल सहाय उपकरण	✓

दस्तावेज/प्रस्ताव

1. विषय  
 प्रस्तावित कार्यवाही  
 दिनांक  
 स्थान

इसका नाम

संस्था का इलाका \_\_\_\_\_

पे एच टू टी / आर इन्फो एम विभाग के अधिकारी का नाम और इलाका \_\_\_\_\_

आइ.एच.ए. परिशिष्टि का नाम और इलाका (यदि लागू हो) Brij Bhaswanadar 9

**संके विभाग**

साम पंचायत और/या इन्फो एम विभाग, अथवा टी.इन्फो एम.टी.एनटी समिति/संकेत समिति, अदि का नाम

पंचायत अधिकारी का नाम और फोन नंबर: कविता देव गुप्ता - 9369657991

असली तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पत्नी की सुलाकार की पीकरी प्रतिष्ठित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. पूजा देवी पत्नी विनाय प्रताप - 9335726863
2. ज्ञान शर्मा " अहम कुमार - 8917045984
3. पुष्पा देवी " धनी राम - 7081287378
4. कुष्मा देवी " अशोक कुमार - 9451102903
5. रामेश्वरी " विनोद कुमार - 6388392381

एच ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

मुशातक अली फुा अब्दुल रहमान - 8467019105

दिनांक  
स्थान  
हस्ताक्षर  
नाम  
पता

हस्ताक्षर